बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, पटना

(DEPT. OF HR & ADMINISTRATION)
(Regd. Office:- Vidyut Bhawan, Bailey Road, Patna)
Contact No.: 7763817975,7763818077, email-dgmhr1015.bsptcl@gmail.com, website-www.bsptcl.in
TIN VAT NO-10011255025, CIN-U74110BR2012SGC018889

संकल्प सं0 2542 पटना/ दिनांक– 18/10/22
T-I/Alleg-EEE-36024/18 (Part)

श्री आशीष कुमार, तदेन विद्युत अधीक्षण अभियंता, संचरण अंचल, बेगूसराय सम्प्रति विद्युत अधीक्षण अभियंता, संचरण अंचल, भागलपुर के विरूद्ध संकल्प संख्या– 1375 दिनांक–19.08.2021 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। उक्त विभागीय कार्यवाही में श्री आर0 पी0 सिंह, सेवानिवृत विशेष सचिव, बिहार सरकार को जाँच पदाधिकारी एवं श्री शशिकांत कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

उक्त संकल्प के साथ संलग्न आरोप प्रपत्र में आरोपी पदाधिकारी श्री आशीष कुमार, तदेन विद्युत अधीक्षण अभियंता, संचरण अंचल, बेगूसराय सम्प्रति विद्युत अधीक्षण अभियंता, संचरण अंचल, भागलपुर के विरूद्ध निम्नलिखित आरोप लगाये गये :–

दिनांक–29.05.2021 के रात्रि में 132/33 KV ग्रिड उपकेन्द्र, जमुई में उत्पन्न संचरण दोष के कारण एक 50 MVA का पावर ट्रांसफर्मर खराब रहा, जिसके फलस्वरूप दिनांक–29.05.2021 की रात्रि से दिनांक–30.05.2021 तक लगभग 24 घंटे से अधिक समय तक ग्रिड उपकेन्द्र, जमुई से विद्युत आपूर्ति बाधित रही। उक्त से संबंधित सूचना आपके स्तर से कंपनी मुख्यालय को नहीं दी गयी तथा साथ ही आपके स्तर से विद्युत आपूर्ति बहाल करने हेतु कोई भी त्वरित कार्रवाई नहीं की गई। विदित हो कि 132/33 KV ग्रिड उपकेन्द्र, जमुई से विद्युत आपूर्ति बाधित रहने की सूचना विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल के पदाधिकारियों के द्वारा दी गयी।

ज्ञातव्य है कि चक्रवाती तूफान "यास" के आलोक में राज्य मुख्यालय से सभी संबंधित अधिकारी/कर्मियों को सतत् सचेत रहने का निर्देश दिया गया था। विद्युत अधीक्षण अभियंता वरीय पदाधिकारी होते हैं जिन्हें ग्रिड उपकेन्द्रों/ प्रमंडलों, आपूर्ति प्रमंडलों, राज्य भार प्रेषण केन्द्र एवं मुख्यालय के शीर्ष पदाधिकारियों से लगातार सम्पर्क बनाये रखना होता है ताकि उनके क्षेत्राधीन निर्बाध विद्युत आपूर्ति बहाल रह सकें।

संबंधित सहायक कार्यपालक अभियंता (ग्रिड उपकेन्द्र, जमुई) तथा विद्युत कार्यपालक अभियंता (संचरण प्रमंडल, मुंगेर) के द्वारा 132/33 KV ग्रिड उपकेन्द्र, जमुई में पावर ट्रांसफर्मर खराब रहने की सूचना दिये जाने के बावजूद आपके द्वारा इसकी समुचित सूचना कंपनी मुख्यालय को नही दिया जाना एवं ग्रिड उपकेन्द्र, जमुई में उत्पन्न संचरण दोष के त्वरित निराकरण हेतु कोई कार्रवाई नहीं किया जाना आपके कर्तव्य के प्रति लापरवाही, अनुशासनहीनता तथा कोरोना महामारी के दृष्टिगत राज्य में निर्बाध विद्युत आपूर्ति बहाल रखने हेतु दिये गये निदेश का स्पष्ट उल्लंघन दर्शाता है। साथ ही लगभग 17 घंटा 30 मिनट विद्युत आपूर्ति बाधित रहने के कारण आम जन को काफी कठिनाई हुई एवं बड़े पैमाने पर कम्पनी के राजस्व की क्षति हुई।

श्री कुमार का उक्त कृत्य अपने कर्तव्य के निष्पादन में घोर लापरवाही एवं उदासीनता क द्योतक है और यह कम्पनी हित के प्रतिकूल है।

जाँच पदाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक–0 दिनांक–27.10.2021 द्वारा उक्त मामलें में जाँच प्रतिवेदन सभी सुसंगत अभिलेखों सहित समर्पित किया गया। जाँच पदाधिकारी के द्वारा उक्त प्रतिवेदन में आरोपी पदाधिकारी श्री आशीष कुमार के विरूद्ध लगाये गये आरोप को अप्रमाणित पाया गया। जाँच पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों के समीक्षा के कम में जाँच पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से निम्न बिन्दुओं पर असहमत होते हुए इस कार्यालय के पत्रांक–1535, दिनांक–23.06. 2022 द्वारा पूर्ण जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने का जाँच पदाधिकारी से पुनः अनुरोध किया गया:–

(i) 50 MVA का एक ट्रांसफार्मर खराब था, जिसकी सूचना मुख्यालय को देने में आरोपी से चूक हुई है, लेकिन जाँच पदाधिकारी द्वारा इसे समेकित रूप से स्वीकार नहीं किया गया है।

(ii) 24 घंटा विद्युत आपूर्ति बाधित रहने के कारण आमजनों को काफी कठिनाई हुई एवं बड़े पैमाने पर राजस्व की क्षति हुई है। इस पर जाँच पदाधिकारी का कोई मन्तव्य नहीं है।

(ii) आरोपों के विश्लेषण के बाद जाँच पदाधिकारी का मन्तव्य है कि ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी के स्तर से सिस्टम में आये दोष की सूचना मुख्यालय को नहीं दी गई परन्तु आरोप को शेष कोई भी अंश प्रमाणित नहीं होता है।

अतः समेकित रूप से विचार किया जाय, तो गठित आरोप पूर्ण रूपेण प्रमाणित नहीं होता है ।

"आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध गठित आरोप अप्रमाणित होते है।"

उपर्युक्त बिन्दुओं पर जाँच पदाधिकारी का मंतव्य परस्पर विरोधाभासी है। फलस्वरूप सक्षम प्राधिकार द्वारा स्पष्ट मंतव्य की अपेक्षा की गयी है।

जाँच पदाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक–224, दिनांक–01.08.2022 द्वारा उक्त प्रसंग में अपना अंतिम जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है तथा इसमें भी जाँच पदाधिकारी द्वारा श्री आशीष कुमार, तदेन विद्युत अधीक्षण अभियंता, संचरण अंचल, बेगूसराय सम्प्रति विद्युत अधीक्षण अभियंता, संचरण अंचल, भागलपुर के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को अप्रमाणित पाया गया है। जाँच पदाधिकारी का मंतव्य इस प्रकार है:–

1. 50 MVA का एक ट्रांसफार्मर खराब था, जिसकी सूचना मुख्यालय को देने में आरोपी से चूक हुई है, लेकिन जाँच पदाधिकारी द्वारा इसे समेकित रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। इस बिन्दु पर अपने अंतिम जाँच प्रतिवेदन में जाँच पदाधिकारी द्वारा स्पष्ट किया गया कि ट्रांसफार्मर खराब होने की सूचना यद्यपि की आरोपी की स्तर से मुख्यालय को नहीं दी गयी, परंतु उनके अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा इनकी सूचना दे दी गयी और उक्त सूचना मुख्यालय को प्राप्त हो गयी, इसकी जानकारी आरोपी को हो गई। फलतः आरोपी द्वारा अपने स्तर से पुनः उक्त सूचना को मुख्यालय को नहीं दिये जाने की आवश्यकता को प्राथमिकता नहीं देते हुए ट्रांसफार्मर संख्या 3 के रिस्टोरेशन पर अपना ध्यान केन्द्रित कर दिया गया। चूकि ट्रांसफार्मर खराबी संबंधी सूचना मुख्यालय को प्राप्त हो चुका था, उसी सूचना

को आरोपी के स्तर से भी नहीं दिये जाने के लिए आरोपी को दोषी माना जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसे एक मामूली चूक मानी जा सकती है।

2. 24 घंटा विद्युत आपूर्ति बाधित रहने के कारण आमजनों को काफी कठिनाई हुई एवं बड़े पैमाने पर राजस्व की क्षति हुई है। इस पर जाँच पदाधिकारी का कोई मन्तव्य नहीं है।

गवाहों की परीक्षण/प्रतिपरीक्षण एवं उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत पक्ष के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 50 MVA का एक ट्रांसफार्मर खराब हो जाने के बाद ग्रिड के दूसरे 50 MVA के ट्रांसफार्मर से विद्युत आपूर्ति हो रही थी, अर्थात् विद्युत आपूर्ति बाधित नहीं रही है।

3. आरोपों के विश्लेषण के बाद जाँच पदाधिकारी का मन्तव्य है कि ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी के स्तर से सिस्टम में आये दोष की सूचना मुख्यालय को नहीं दी गई परन्तु आरोप का शेष कोई भी अंश प्रमाणित नहीं होता है।

इस संबंध में जाँच पदाधिकारी द्वारा स्पष्ट किया गया है कि आरोप पत्र में आरोपी के विरूद्ध गठित आरोप के तार्किक एवं स्पष्ट समीक्षात्मक विश्लेषण के दृष्टिकोण से उक्त गठित आरोप को तीन अंशों में विभक्त करते हुए अलग–अलग समीक्षात्मक विश्लेषण किया गया है, एवं तदनुसार गठित आरोप पर समेकित रूप से मंतव्य गठित करते हुए निष्कर्ष दिया गया है। उपलब्ध साक्ष्य, उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत पक्ष एवं गवाहों के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण के समीक्षात्मक विश्लेषण से स्पष्ट है कि आरोपी के विरूद्ध गठित आरोप के प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं होती है। फलतः आरोपी के विरूद्ध गठित आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

अतएव जाँच पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए संकल्प संख्या– 1375 दिनांक 19.08.2021 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही में सक्षम प्राधिकार द्वारा श्री आशीष कुमार, तदेन विद्युत अधीक्षण अभियंता, संचरण अंचल, बेगूसराय सम्प्रति विद्युत अधीक्षण अभियंता, संचरण अंचल, भागलपुर के विरूद्ध लगाये गये आरोप से मुक्त किये करने का निर्णय लिया गया है।

तदनुसार संकल्प संख्या– 1375 दिनांक 19.08.2021 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही में श्री आशीष कुमार, तदेन विद्युत अधीक्षण अभियंता, संचरण अंचल, बेगूसराय सम्प्रति विद्युत अधीक्षण अभियंता, संचरण अंचल, भागलपुर के विरूद्ध लगाये गये आरोप से मुक्त किया जाता है।

आदेशः **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति श्री आशीष कुमार, विद्युत अधीक्षण अभियंता, संचरण अंचल, भागलपुर को दी जाय।**

आदेशानुसार,

18.10.22

(राधामोहन प्रसाद)
महाप्रबंधक (मा0 सं0/प्रशा0)

18/10/22

ज्ञापांक–.....

दिनांक–.....

प्रतिलिपिः श्री आशीष कुमार, विद्युत अधीक्षण अभियंता, संचरण अंचल, भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(राधामोहन प्रसाद)
महाप्रबंधक (मा0 सं0/प्रशा0)

ज्ञापांक–2543

दिनांक–18/10/22

प्रतिलिपिः प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी/निदेशक (परियोजना/परिचालन) सभी महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, सभी संचरण जोन/सभी मुख्य अभियंता/महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/उप महाप्रबंधक (मा0 सं0/प्रशा0)/उपमहाप्रबंधक (ERP)/सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता/उप सचिव/सभी अवर सचिव/सभी विद्युत कार्यपालक अभियंता/वरीय प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/DBA/ सभी लेखा पदाधिकारी/लेखा पदाधिकारी (स्थापना)/ बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2. DBA से अनुरोध है कि इसे कंपनी के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

18.10
(राधामोहन प्रसाद)
महाप्रबंधक (मा0 सं0/प्रशा0)
18/10/22